

O/o E.D. (EITC)  
 C&PDCL Raipur  
 Receipt No. 435  
 Date 02 MAY 2022  
 AGM (IT)  
 SE (O)/SE Web  
 EE  
 Section

02 MAY 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

(अपील प्रकरण क्रमांक 02/2022 दिनांक 10.03.2022)

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -02/2022/ 27

रायपुर, दिनांक 29/04/2022

श्री एस.के.चक्रवर्ती अपीलार्थी

कोरबा

विरुद्ध

श्री पंकज सिंह परमार

उत्तरवादी

जनसूचना अधिकारी

-:: आदेश ::-

(दिनांक 29/04/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री एस.के.चक्रवर्ती ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)-तीन, के निर्णय दिनांक 18.01.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) - प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :-

(i)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/ दस्तावेज :-	कंपनी ने अपने पदोन्नति आदेश (SE to Add.CE) क्रमांक 01-05/पीडी.-दो/393 रायपुर दिनांक 30.03.2021 के माध्यम से श्री दिलीप कुमार भोजक को पदोन्नति दे दी पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को पदोन्नति से वंचित रखा गया। अतः आदेश क्रमांक 556 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को कनिष्ठ करने के कारणों से दस्तावेजी प्रमाण पत्र ।	
(ii)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :-	अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 27.01.2022 को अपील प्रस्तुत किया गया। अपील के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क व अपील अंस्तुष्ट होने के कारण/तर्क भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः पत्र क्रमांक 08 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। अपीलार्थी द्वारा पुनः अपील दिनांक निरंक के माध्यम से निर्धारित पंजीयन शुल्क सहित निम्न तर्क/कथन के साथ प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा जो जानकारी प्रदान की गयी है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः अपील करता हूँ कि जिस दस्तावेज के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को कनिष्ठ किया गया व श्री भोजक को काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान की गई है, वह दस्तावेज उपलब्ध कराने की कृपा करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :-	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण
		29.03.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित, अगली तिथि 30.03.2022
		30.03.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित, अगली तिथि 18.04.2022
		18.04.2022	दोनों पक्ष उपस्थित, किन्तु प्रकरण में सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाई। अपीलार्थी के निवेदन पर अपील की


			अगली सुनवाई तिथि 25.04.2022 को निर्धारित की गयी।
		25.04.2022	दोनों पक्ष उपस्थित, सुनवाई सम्पन्न हुई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी एवं DPIO द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :-	जनसूचना अधिकारी तथा DPIO द्वारा तर्क दिया कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गयी आदेश क्रमांक 556 दिनांक 10.06.2020 द्वारा वरिष्ठता सूची में परिवर्तन करने संबंधी सम्पूर्ण नोट शीट क्रमांक 220 दिनांक 20.05.2020 की प्रति 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गयी है।  अपीलार्थी द्वारा सूचनाधिकार के अंतर्गत स्वयं के 10.06.2020 के आदेश में कनिष्ठ करने के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। जिसे 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी जा चुकी है। अपील में अपीलार्थी द्वारा एक अन्य प्रकरण श्री दिलीप कुमार भोजक को वर्ष 2018 में दिये गये नेशनल सीनियारिटी संबंधी नस्ती उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया है। जो अपीलार्थी के पूर्व आवेदन तथा अपील आवेदन के विषयवस्तु में भिन्नता है। सूचनाधिकार के अंतर्गत आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व में जो जानकारी चाही गयी है उसी विषयवस्तु पर ही नियमानुसार अपील प्रस्तुत किया जाना है। अपितु विषयवस्तु में भिन्नता होने के कारण अपीलार्थी को सूचनाधिकार के अंतर्गत नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना था। यद्यपि फिर भी अपीलार्थी को अपील निवेदन पर अवगत कराया गया कि वर्तमान में नस्ती इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसे रिकार्ड में पतासाजी की जा रही है। साथ ही पूर्ववर्ती म.प्र.वि.मं. में श्री भोजक की तत्कालीन पद पर पदोन्नति हुई थी, के संबंध में पदोन्नति पैनल प्राप्त करने हेतु म.प्र. पॉ.कं.लिमि. के कार्यालय से पत्राचार किया गया था। प्रत्युत्तर में पैनल प्राप्त किया गया है। अतः म.प्र.पॉ.कं.लिमि. से प्राप्त पैनल की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा सकती है।	

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के पूर्व आवेदन तथा अपील आवेदन के विषयवस्तु में भिन्नता है। सूचनाधिकार के अंतर्गत पृथक विषयवस्तु के संबंध में नियमानुसार अलग आवेदन प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना/दस्तावेज प्राप्त किया जाना है।

जैसा कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 17.12.2021 में चाही गयी आदेश क्रमांक 556 दिनांक 10.06.2020 संबंधी दस्तावेज के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा वरिष्ठता सूची में परिवर्तन करने संबंधी सम्पूर्ण नस्ती 01 पृष्ठ में अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है। जो तर्कसंगत है।

अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता (पारे./वित्त.) की दिनांक 01.04.2019 की वरिष्ठता सूची प्रकाशन विषयक सम्पूर्ण नस्ती का अवलोकन कराया गया। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा अपील में पृथक रूप से अन्य विषयवस्तु यथा पदोन्नति पैनल संबंधी दस्तावेज की मांग की गई। उक्त नस्ती वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। चूंकि DPIO द्वारा अवगत कराया गया है कि पदोन्नति पैनल संबंधी नस्ती म.प्र.पॉ.कं.लिमि. से प्राप्त हो गई है। अतएव अपीलार्थी को संबंधित पैनल की फोटो-प्रति अन्य अधिकारियों से संबंधित जानकारी छुपाते हुए प्रदान की जानी चाहिए।

4) – उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत दर्ज अपील प्रकरण (पंजी. क्रमांक 02/2022 दिनांक 10.03.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।



(मनोज खरे)

अपीलीय अधिकारी  
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक –0771-2574700

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -02/2022/ 28


रायपुर, दिनांक 29/04/2022

प्रतिलिपि :-

- (1) जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा0सं0)– तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) श्री एस.के.चक्रवर्ती, अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., कोरबा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर–उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता :- सचिव,  
छ0ग0 राज्य सूचना आयोग  
अटल नगर, नवा रायपुर



(मनोज खरे)

अपीलीय अधिकारी  
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)  
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर  
दूरभाष क्रमांक –0771-2574700